नकद क्रय पर आवंटित सम्पत्ति के मूल्य के विरूद्ध देय सम्पूर्ण धनराशि पर इस पत्र की तिथि से एक माह (30 दिन) के अन्दर, भुगतान करने पर भूखण्ड एवं भवन के कुल मूल्य पर क्रमशः एक प्रतिशत तथा दो प्रतिशत की छूट दी जायेगी। एक माह के अन्दर भुगतान करने की स्थिति में आवंटी इस छूट को स्वयं समायोजित करते हुये अवशेष धनराशि जमा कर सकता है। परिषद् से मानचित्र स्वीकृत कराकर आवासीय/व्यावसायिक भूखण्डों पर निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु अनुमन्य अवधि प्रदेशन पत्र की निर्गत तिथि से क्रमशः ....वर्ष तथा......................वर्ष है।

सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु गत पृष्ठ पर अंकित समस्त धनराशियाँ एवं इस पृष्ठ पर अंकित सभी प्रपत्र दिनांक..............................तक कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा रू0..प्रतिदिन की दर से सम्पूर्ण प्रपत्र जमा करने की तिथि तक का विलम्ब शुल्क देय होगा। कब्जा पत्र निर्गत होने के 15 दिन के अन्दर भौतिक कब्जा न लेने पर रू0............................प्रतिदिन की दर से कब्जा लेने की तिथि तक का रख-रखाव शुल्क देय होगा। डाक विलम्ब हेतु परिषद् उत्तरदायी नहीं होगा।

नोट : उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्–भूखण्डों तथा भवनों के पंजीकरण एवं आवंटन सम्बन्धी विनियम-1979, (यथासंशोधित जून, 1986– मूल्य रू० 10/-) विक्रय समस्त सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालयों में एवं प्रचार अनुभाग, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ में उपलब्ध है।

भवदीय

सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी / सहायक आवास आयुक्त
कृते आवास आयुक्त

आवंटी द्वारा .... दिनांक तक इस कार्यालय में जमा करने वाले प्रपत्रों की सूची

1. पंजीकरण प्रमाण-पत्र मूल रूप से दाखिल करें।
2. पंजीकरण हेतु जमा धनराशि के चालान की चतुर्थ प्रति मूल रूप में जमा करें।
3. रू० 100/- का सादा नान-जुडिशियल स्टाम्प पेपर मीटर बाण्ड हेतु प्रस्तुत करें।
4. राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित अपने हस्ताक्षरित फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर, जिस पर उक्त अधिकारी द्वारा आपका नाम, पिता का नाम एवं पता अंकित हो, दो प्रतियों में अलग-अलग प्रस्तुत करें।
5. निम्नलिखित प्रारूप में रू० 10/- के नान-जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मजिस्ट्रेट / सब जज / नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
6. यदि भवन / भूखण्ड नकद पर प्रदिष्ट है तो लीज / सेलडीड हेतु सम्बन्धित कार्यालय, निमार्ण खण्ड.............................से साईट एवं बिल्डिंग प्लान की चार-चार प्रतियाँ प्राप्त कर निर्धारित स्टाम्प शुल्क के स्टाम्प पेपर भी प्रस्तुत करें।
7. प्रथम देय किस्त के साथ एक-मुश्त जमा धनराशि का बैंक प्रमाण पत्र व रसीद मूल रूप में प्रस्तुत करें।
8. अनुबन्ध/विक्रय विलेख हेतु शासनादेश के अनुसार देय स्टाम्प पेपर रु0.................................... एवं रू० 100/- का स्टैम्प पेपर प्रस्तुत करें।
9. 5 फोटो प्रस्तुत करें।
10. नकद पर आवंटित सम्पत्ति के विरूद्ध निर्धारित शुल्क के स्टाम्प पेपर पर विक्रय-विलेख टाइप कराकर प्रस्तुत करना होगा।

शपथ पत्र का प्रारूप

मैं (नाम)...पुत्र/पुत्री...उम्र............निवासी..

निम्न प्रकार शपथपूर्वक कहता/कहती हूँ।

1. मेरे/मेरी पत्नी/पति अथवा अव्यस्क बच्चों के नाम कोई भूखण्ड/भवन पूर्णतः या अंशतः मेरठ नगर में नहीं है और उ० प्र० के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है।
2. मेरे/मेरी पत्नी/पति अथवा अव्यस्क बच्चों के पास नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 में निर्धारित सम्पत्ति से अधिक नहीं है और न होगी।
3. मैं तथा मेरा/मेरी पत्नी एवं अव्यस्क बच्चों द्वारा उ० प्र० नगरीय सीमा में केवल एक भवन/भूखण्ड के प्रदेशन हेतु आवेदन करता/करती है।
4. मेरी समस्त श्रोतों से रजिस्ट्रेशन से पूर्व वित्तीय वर्ष..की वार्षिक आय, जिसमें मेरी/मेरे पति या अन्य आश्रित सम्बन्धी एवं अव्यस्क बच्चे भी सम्मिलित हैं, कुल रूपये..से अधिक नहीं थी।

मैं (नाम) ....घोषणा करता/करती हूँ कि उपयुक्त अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित तथ्य मेरी जानकारी में सही है और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

स्थान ....

दिनांक ....

शपथी

प्रमाणित
मजिस्ट्रेट / सब जज / नोटरी

Scanned by CamScanner